सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साअधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*
	कार्तिक 10, शुक्रवार, *शाके* 1941–नवम्बर 1, 2019 *Kartika 10 Friday, Saka 1941–November 1, 2019*	

भाग 6 (ग)

ग्राम पंचायत संबंधी विज्ञप्तियां आदि।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

(पंचायती राज विभाग)

अधिसूचना

जयपुर, अक्टूबर 31, 2019

संख्या एफ.15(93)पंरावि/विधि/न.पा.गठन/सलुम्बर/उदयपुर/2019/2938 :-स्वायत्त शासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.10()न.पा.सीमा / डीएलबी / 06 / 1126 दिनांक 01.10.2007 के द्वारा पंचायत समिति सलुम्बर के राजस्व ग्राम ईसरवास डांगीयान, मानपुरा, जोधसागर की भागल, भई, लकापा, दूदर एवं करगेटा के विभिन्न आराजी नम्बर के क्षेत्रों को सलुम्बर की सीमा में सम्मिलित किया गया था ।

स्वायत्त शासन विभाग द्वारा उक्त अधिसूचना को अधिसूचना संख्या प.10 (ग) न.पा.सीमा/ डीएलबी/ 10/ 8395 दिनांक 19.05.2010 से Keep in Abeyance किया गया था । स्वायत्त शासन विभाग द्वारा अपनी अधिसूचना संख्या प.10 (क) गठन/ श्रेणी/ डीएलबी/ 13/ 2871 दिनांक 03.06.2015 से पूर्व की अधिसूचना दिनांक 01.10.2007 को पुन: प्रभावी कर दिया गया ।

जिला कलेक्टर, उदयपुर ने अपने पत्र क्रमांक एफ.37()पंचा0/2019/1849 दिनांक 21.10.2019 के द्वारा स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर की अधिसूचना में वर्णित आराजीयात में निहित पंचायत समिति सलुम्बर के राजस्व ग्राम ईसरवास डांगीयान, ईसरवास रावन, ईसरवास टापरान, मानपुरा, जोधसागर की भागल, सुरों का कुआ, भई, लकापा, दूदर एवं करगेटा को पंचायती राज संस्थाओ से मुक्त करने हेतु अनुशंषा की है ।

अत: राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्या-13) की धारा-101 में वर्णित प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा पंचायत समिति सलुम्बर के राजस्व ग्राम ईसरवास डांगीयान, ईसरवास रावन, ईसरवास टापरान, मानपुरा, जोधसागर की भागल, सुरों का कुआ, भई, लकापा, दूदर एवं करगेटा को पंचायती राज संस्थाओं के क्षेत्राधिकार से पृथक किया जाता है ।

आज्ञा से,

डॉ. आरूषी मलिक,

विशिष्ठ शासन सचिव एवं निदेशक।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।